कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लघु सिचाई खण्ड केन्द्रीय भण्डार परिसर इटौआ सुखदेवपुर,बदायूँ रोड,बरेली।

पत्रॉक 1520 /ल0सि0/डीमैन/लेखा/पंजीकरण/10–11 दिनॉक 14-2-2011

पंजीकरण सूचना 01/2010–11

महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा लघु सिचाई खण्ड बरेली/मुरादाबाद/शाहजहॉपुर के अन्तर्गत जनपदों में छोटी /हल्की रिग मशीन अथवा प्राइवेट मैकेनाइज्ड बोरिंग यूनिट से 60मीटर गहराई से मध्यम गहरे नलकूप निर्माण एवं 60मीटर से अधिक गहरे बोरिंग की सभी योजनाओं हेतु ट्रक माउन्टेड रिग मशीन की क्षमता आर0आर0बिट से कम से कम 17.5 इंच का बोर 150मीटर गहराई तक छिद्रण करनी होगी,तथा 150 मीटर गहराई के नलकूपों के डेवलपमेन्ट के लिए उपयुक्त कम्प्रेशर कम से कम 250 पी0एस0आई0 का होना चाहिए तथा बोरिंग करने हेतु प्राइवेट मशीनों के पंजीकरण खण्डवार पृथक–पृथक मुहरबन्द पंजीकरण प्रपत्र दिनांक 14.03.2011 को अपरान्ह 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिनांक को अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित मशीन मालिकों के समक्ष अधीक्षण अभियन्ता,लघु सिंचाई वृत,बरेली के कार्यालय में उनकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा खोली जायेगीं।

मध्यम गहरी बोरिंग एवं गहरी बोरिंग के पंजीकरण प्रपत्र दिनांक 28.2.2011 से 12.3.2011 तक कार्यालय में प्रत्येक नकद रू0 200.00 मूल्य एवं वाणिज्य कर राशि 13.5 प्रतिशत देकर प्राप्त की जा सकती है।उक्त तिथि में किसी भी दिन शासकीय अवकाश घोषित होने पर कार्यवाही अगले दिन होगी। बिना किसी कारण बताये किसी एक अथवा समस्त पंजीकरणों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधीक्षण अभियन्ता,लघु सिंचाई वृत, बरेली में निहित होगा। प्रत्येक खण्ड हेतु मध्यम गहरी बोरिंग एवं गहरी बोरिंग के पृथक–पृथक लिफाफे में पंजीकण संबंधी प्रपत्र के साथ मध्यम गहरी बोरिंग हेतु रू0 15000.00 धनराशि एवं गहरी बोरिंग हेतु रू0 50000.00 धनराशि जमानत जमा राष्ट्रीय बचतपत्र/राष्ट्रीयकृत बैंकों की सावधि जमा के रूप में हो, जो कि सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता,लघु सिंचाई के पदनाम से बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य होगी। ऐसे मशीन मालिकों जिसका कोई सगा सम्बन्धी(**First Blood relation & their Spouses)** जैसे कि वृत्त कार्यालय, खण्डीय कार्यालय, उपखण्डीय कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी न हों। सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र एंव हैसियत प्रमाण पत्र की जिस की निर्गमन तिथि अधिकतम एक वर्ष का हो। वाणिज्य कर टिन संख्या/आयकर पैन नम्बर की छाया प्रति प्रमाणित संलग्न करनी होगी एंव माफियों गति विधियों असमाजिक कार्यो एंव संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं रहे हैं यां ऐसे व्यक्तियों/ समूहों को उनके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है यह प्रमाण पत्र जिला के पुलिस अधीक्षक एंव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों अथवा इनसे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किया जाना आवश्यक होगा। आवश्यक शर्ते कार्यालय दिवस में देखी जा सकती हैं।

(ई0जी0आर0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता, लघु सिचाई खण्ड,
बरेली/मुरादाबाद/शाहजहॉपुर।

पत्रॉक व दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नॉकित को सूचनार्थ एंव अपने कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

1. समस्त सहायक अभियन्ता, लघु सिचाई वृत्त बरेली।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिचाई वृत्त बरेली।
3. अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिचाई वृत्त बरेली।
4. मुख्य अभियन्ता, लघु सिचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. जिलाधिकारी बरेली/बदायूँ/शाहजहॉपुर/पीलीभीत/मुरादाबाद/रामपुर/बिजनौर/जे0पी0नगर।
6. जिला नोडल अधिकारी सहायक सूचना निदेशक बरेली।
7. निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र इकाई बरेली को उक्त की सी0डी. एंव हार्ड कापी इस अनुरोध के साथ प्रेषित है,कि प्रकाशन सम्बन्धित वेबसाइट पर डालने का कष्ट करें।
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड हेतु।

अधिशासी अभियन्ता, लघु सिचाई खण्ड,
बरेली/मुरादाबाद/शाहजहॉपुर।